सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 402 राँची, गुरुवार, 5 अप्रैल, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

8 फरवरी, 2018

विषय: झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक- 20 पर बनिया के कोष्टक में अंकित "वैश बनिया एवं एकादश बनिया" जाति को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) से विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में सम्मिलित करने के संबंध में ।

संख्या-14/जाति-03-10/2010;पद्ध का.- 1041-- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछडे वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 की धारा-2 में अत्यन्त पिछडे वर्गो एवं पिछडे वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14 (अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है ।

3. पिछडे वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि ‘‘वैश बनिया और एकादश बनिया को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची-ii) से विलोपित कर अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-i) के अंत में शामिल किया जाय’’ के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछडे वर्गो की सूची (अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन की जायः-

समावेशन(अनुसूची-1)

(i) वैश बनिया एवं एकादश बनिया जाति को क्रमांक-126 के बाद रिक्त क्रमांक-127 पर दर्ज किया जाय ।

विलोपन(अनुसूची-2)

(i) चूँकि वैश बनिया एवं एकादश बनिया जाति अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक- 127 पर समावेशित किया गया है, अतएव वैश बनिया एवं एकादश बनिया जाति को पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक- 20 में बनिया के कोष्टक से विलोपित किया जाय ।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडे वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 402 -- 50